संख्या-2/बी०एल०-1207/07 श्र०सं 3175

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार सिंह,
अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार, पटना

पटना, दिनांक- 07/06/2017

विषय:- केन्द्र प्रायोजित योजना, बंधुआ मजदूर पुनर्वास कार्यक्रम के वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वयन हेतु के राज्यांश के अन्तर्गत विभिन्न मदों में प्रावधानित सामान्य श्रेणी के बंधुआ मजदूरों लिए 3,32,000/- लाख (तीन लाख बत्तीस हजार), अनुसूचित जाति के बंधुआ मजदूरों लिए 64.00 हजार (चौंसठ हजार) एवं अनुसूचित जन जाति के बंधुआ मजदूरों के लिए 4.00 हजार (चार हजार) अर्थात कुल राशि 4.00 लाख (चार लाख) मात्र तथा केन्द्रांश के अन्तर्गत 1,20,00,000/- लाख (एक करोड़ बीस लाख) के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूर्व में संचालित केन्द्र प्रायोजित योजना को संशोधित पुनरीक्षित करते हुए Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labour दिनांक-17.05.16 से लागू किया है। उक्त तिथि के पहले विमुक्त श्रमिकों को पूर्व की केन्द्र प्रयोजित योजना के अन्तर्गत लाभान्वित कराया जाएगा इस क्रम में केन्द्र प्रायोजित योजना के अधीन बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास योजना का अवधी विस्तार 20,000/- (बीस हजार) प्रति बंधुआ मजदूर की लागत पर किया जायेगा एवं पुनर्वास पर व्यय होने वाली राशि का वहन राज्य एवं केन्द्र सरकार 50: 50 के अनुपात में करती है। इस प्रकार राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार का हिस्सा 10,000/-(दस हजार), 10,000/-(दस हजार) कुल 20,000 (बीस हजार) मात्र प्रति बंधुआ मजदूर होता है। इस हेतु राज्यांश के अन्तर्गत विभिन्न मदों में प्रावधानित सामान्य श्रेणी के बंधुआ मजदूरों लिए 3,32,000 लाख (तीन लाख बत्तीस हजार) अनुसूचित जाति के बंधुआ मजदूरों लिए 64,000/-(चौसठ हजार) एवं अनुसूचित जन जाति के बंधुआ मजदूरों के लिए 4,000/- (चार हजार) अर्थात कुल राशि 4.00 लाख (चार लाख) मात्र तथा केन्द्रांश के अन्तर्गत 1,20,00,000/- (एक करोड़ बीस लाख) के व्यय की स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2199/वि० दिनांक-24.03.2017 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार निम्न प्रकार से प्रदान की जाती है-

2. <u>राज्यांश की राशि</u> (I) सामान्य बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु राज्यांश की राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230 श्रम तथा रोजगार- उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-112- बंधुआ मजदूर का पुनर्वास-माँग सं०-26-उप शीर्ष-0101- अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत (विपत्र कोड-26 2230011120101) निम्न इकाईयों में विकलनीय होगी :-

(क)	0101.21.01	सामग्री एवं पूर्तियाँ	-	40,000/-
(ख)	0101.37.01	अनुग्रह अनुदान	-	2,92,000/-
		कुल योग	-	3,32,000/-

रूपये तीन लाख बत्तीस हजार मात्र ।

(II) अनुसूचित जाति के बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु राज्यांश की राशि की निकासी मुख्य शीर्ष- 2230 श्रम एवं रोजगार उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-माँग सं०-26-उप शीर्ष-0102-बंधुआ मजदूर कल्याण कार्यक्रम (विपत्र कोड- 26- 2230017890102) के अन्तर्गत निम्न इकाईयों में विकलनीय होगी :-

(क)	0102.21.01	सामग्री एवं पूर्तियाँ	-	8,000/-
(ख)	0102.37.01	अनुग्रह अनुदान	-	56,000/-
		कुल योग	-	64,000/-

रूपये चौसठ हजार मात्र ।

(III) अनुसूचित जन जाति के बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु राज्यांश की राशि की निकासी मुख्य शीर्ष - 2230 श्रम एवं रोजगार उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-माँग सं०-26-उप शीर्ष 103- बंधुआ मजदूर कल्याण कार्यक्रम(विपत्र कोड-26-2230017960103)के अन्तर्गत निम्न इकाईयों में विकलनीय होगी:-

(क)	0103.21.01	सामग्री एवं पूर्तियाँ	-	1,000/-
(ख)	0103.37.01	अनुग्रह अनुदान	-	3,000/-
		कुल योग	-	4,000/-

रूपये चार हजार मात्र ।

अर्थात (I)+(II)+(III) के तहत राज्यांश की कुल राशि 4,00,000 लाख (चार लाख) मात्र।

3. केन्द्रांश की राशि-

इसके अतिरिक्त उपर्यक्त तीनों विपत्र शीर्षो के तहत बंधुआ मजदूरों कों उपलब्ध कराई गई एवं पूर्व वर्षो में विमुक्त राज्यांश राशि के विरूद्ध केन्द्रांश की राशि की निकासी मुख्य शीर्ष- 2230 श्रम एवं रोजगार उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-112- बंधुआ मजदूर का पुनर्वास-माँग सं०-26-उप शीर्ष-0201-बंधुआ मजदूर का पुनर्वास तथा समाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम (विपत्र कोड- 26-2230011120201) एवं पी०एफ०एस०एस० कोड 2042 के अन्तर्गत निम्न इकाईयों में विकलनीय होगी :-

0201.37.01	अनुग्रह अनुदान	-	1,20,00,000/-

रूपये एक करोड़ बीस लाख मात्र ।

4. उक्त के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में दिनांक-17.05.16 के पूर्व विमुक्त बंधुआ मजदूरों को केन्द्र प्रायोजित योजना, बंधुआ मजदूर पुर्नवास कार्यक्रम के अन्तर्गत पुनर्वासित करने का भौतिक लक्ष्य रखा गया है।

5. इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 कुल 4.00 लाख राज्यांश मद में एवं 1,20,00,000/- (एक करोड़ बीस लाख) की राशि केन्द्रांश मद में अर्थात कुल 1,24,00,000/- (एक करोड़ चौबीस लाख) स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2199/वि०, दिनांक- 24.03.2017 मे प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत निर्गत किया जाता है । यह चालू योजना है।

7. प्रस्ताव में विभागीय माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग का अनुमोदन पृ०-119/टि० पर प्राप्त है।

8. प्रस्ताव/प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति पृ०-118/टि० पर प्राप्त है।

9. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी/ संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी उप श्रमायुक्त/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक/ श्रमायुक्त के सचिव, पटना होगें तथा नियंत्री पदाधिकारी, श्रमायुक्त, बिहार होगें ।

10. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली से संबंधित मामलों के पुनर्वास की राशि अविलम्ब विमुक्त की जायेगी ।

विश्वासभाजन

(संजय कुमार सिंह) 06/06/17

अपर सचिव ।

Speed Post ज्ञापांक-2/बी०एल०-1207/07 श्र०सं० 3175 पटना, दिनांक 07/06/2017

प्रतिलिपि:- अवर सचिव श्रम एवं रोजगार मत्रांलय, भारत सरकार जैसलमेर हाउस मानसिंह रोड नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(संजय कुमार सिंह) 06/06/17

अपर सचिव ।

Speed Post

ज्ञापांक-2/बी०एल०-1207/07 श्र०सं० 3175 पटना, दिनांक 07/06/2017

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त /सभी जिला पदाधिकारी / संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली / सभी उप श्रमायुक्त / सभी सहायक श्रमायुक्त / सभी श्रम अधीक्षक / श्रमायुक्त के सचिव / सभी कोषागार पदाधिकारी/ उप कोषागार पदाधिकारी/आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-06 (श्रम पक्ष) एवं प्रशाखा-02 (सरकार पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(संजय कुमार सिंह)
अपर सचिव ।